एसओपी सं.15

फा.सं.7/15(1)/2014-एसडी/एसएंडएस

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

सूत्रधार प्रभाग (एसएंडएस)

दिनांक : 02 जून, 2015

विषय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर से ले जाए/में लाए जाने वाले मदों/ सामग्री/ मशीनरी/ उपस्कर संबंधी मानक कार्य-विधि।

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लोगों और सामग्री की सुरक्षा का प्राधिकारियों द्वारा ध्यान रखा गया है। तद्नुसार, एक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को भाड़े पर रखा गया है ताकि 24X7 आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लोगों और सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा सभी की आवश्यकता है और सभी कार्मिक, आगंतुक सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे सुरक्षा एजेंसी के कार्मिकों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संपत्ति को अनधिकृत रूप से परिसर से बाहर न ले जाया जाए।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संपत्ति को निम्नलिखित अवसरों पर परिसरों से बाहर ले जाना पड़ सकता है:

(क) मरम्मत के लिए

(ख) किसी कार्यक्रम के लिए उधार पर

(ग) अन्य एजेंसियों/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अन्य केंद्रों को जारी करना

(घ) रद्दी के रूप में निपटान

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसरों से किसी मद को बाहर ले जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) चूंकि अधिकांश मदों को एसऔरएस अनुभाग के अधीन स्टोर कीपर द्वारा रखे गए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, अत: खाली गेट पासों का एकल स्रोत एसऔरएस अनुभाग होगा। एसऔरएस अनुभाग द्वारा खाली गेट पास मांग के आधार पर वांछित प्रभागों को जारी

किए जाएंगे। मदों को इन गेट पासों पर ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसरों से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी अन्य गेट पास/ अलग पन्ने को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) गेट पासों को तीन प्रतियों में मुद्रित किया जाएगा। गेट पास की मूल प्रति गेट पर सुरक्षा कर्मी को सौंपी जाएगी। गेट पास की दूसरी प्रति संबंधित मद के साथ ले जाई जाएगी। तीसरी प्रति को मूल पुस्तिका में रखी जाएगी।

(ग) गेट पास के सभी कॉलमों को विभागाध्यक्षों या सीपीडब्ल्यूडी के सहायक इंजीनियरों द्वारा भरा जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के स्टोर कीपर के हस्ताक्षर भी स्टॉक रजिस्टर से संबंधित कार्रवाई करने के लिए गेट पास पर लिए जाएंगे।

(घ) केवल मान सिंह रोड पर स्थित गेट नंबर 6 का उपयोग मदों को ले जाने/लाने के लिए किया जाएगा।

(ङ) आपातिक स्थिति के सिवाय कार्य दिवसों में ही मदों को बाहर ले जाया जाएगा। आपात स्थिति में अनुभाग अधिकारी/ परामर्शदाता (एसऔरएस) को विशिष्ट सूचना देकर मदों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

4. इसी प्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसरों में लाए जाने वाली मदों को सुरक्षा कार्मिकों को बीजक की प्रति देकर सुरक्षा गेट पर दर्ज किया जाएगा।

5. उपर्युक्त प्रक्रिया इस मानक कार्य-विधि के जारी होने की तारीख से अपनाई जाएगी।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

सभी विभागध्यक्ष
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत), सीपीडब्ल्यूडी
कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), सीपीडब्ल्यूडी

परामर्शदाता (सीई)
परामर्शदाता (एसऔरएस)
परामर्शदाता (सीडीएन)
प्रतिलिपि संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।